छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर जिला–रायपुर

क्रमांकः एफ 5–13/2019/18 अटल नगर रायपुर , दिनांक 13/06/2019

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
   नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत
   छत्तीसगढ़

विषयः– **रेनवॉटर हार्वेस्टिंग कियान्वयन की अनिवार्यता हेतु दिशा–निर्देश।**

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत शासन द्वारा वर्ष 2011 में भूमिगत जल संरक्षण अनिवार्यता प्रकिया अंतर्गत 150 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्डों के लिए वर्षा जल संरक्षण हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके अंतर्गत निकायों द्वारा 150 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों पर भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के पूर्व, आवेदक से सुरक्षा निधि के रूप में 55.00 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से जमा राशि करायी जा रही हैं, जो अधिकतम राशि रू. 15,000 है। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संतोषप्रद ढंग से स्थापित किये जाने की स्थिति में निकाय द्वारा निरीक्षण उपरांत सुरक्षा राशि सावधि जमा राशि वापिस की जा रहीं है तथा अन्यथा की स्थिति में आवेदक से जमा करायी गई उक्त सुरक्षा राशि की सावधि जमा को ब्याज सहित निकाय के पक्ष में राजसात किये जाने का प्रावधान किया गया हैं।

इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जो समाहित करते हुए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग क्रियान्वयन की अनिवार्यता अंतर्गत कार्य मिशन मोड में 30 जून 2019 तक किये जाने हेतु निम्नानुसार समग्र दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. नोडल अधिकारी की नियुक्ति –

निकाय द्वारा रेनवॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण के समस्त कार्यो के लिए वरिष्ठतम् अभियंता को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किया जावेगा।

2. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण की प्रकिया –

(i) सभी निजी संस्थाओं जैसे स्कूल/अस्पताल/वाणिज्यिक भवन/रिहायसी कालोनियॉ/टाउन शिप/औद्योगिक ईकाईयॉ में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण स्वयं या स्वयं की एजेंसी द्वारा।

(ii) जिले में स्थित शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय एवं आवासीय भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्यालय स्वयं या स्वयं की एजेंसी द्वारा।

(iii) निकाय द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा।

(i) **सभी निजी संस्थाओं जैसे स्कूल/अस्पताल/वाणिज्यिक भवन/रिहायसी कालोनियॉ/टाउन शीप/औद्योगिक ईकाईयॉ में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण स्वयं या स्वयं की एजेंसी द्वारा –**

1. भवन अनुज्ञा किये जाने वाले, 150 वर्गमीटर से अधिक आकार भूखण्डों के लिए वर्षा जल संरक्षण हेतु रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान किया जाकर स्वयं या स्वयं की एजेंसी से निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. 150 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों मे वर्षा जल संरक्षण हेतु छ.ग.भूमि विकास अधिनियम, 1984 के नियम 78 परिशिष्ट –ढ–1, ढ–2 एवं ढ–3 के विकल्पों के अनुसार रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाना आवश्यक होगा।
3. 150 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों पर भवन निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व आवेदक से सुरक्षा राशि जमा करायी जावेगी। सुरक्षा राशि मात्र भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा अधिसूचित बैंको/डाकघर द्वारा जारी सावधि जमा रसीद (फिक्स डिपॉजिट) जो निकाय के यथा आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पक्ष में देय हो, के रूप में जमा करायी जावेगी। निकाय द्वारा इस मद में नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संतोषप्रद ढंग से स्थापित किये जाने, निकाय द्वारा निरीक्षण उपरांत पुष्टि कर लिये जाने के उपरांत, सुरक्षा राशि जमा रसीद, निकाय द्वारा अवमुक्त कर वापिस की जावेगी।
5. भवन स्वामी द्वारा अनुज्ञा की अवधि में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण एवं रख–रखाव प्रावधानित विधि से पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा करायी गई सुरक्षा राशि की सावधि जमा को ब्याज सहित निकाय के पक्ष में राजसात किया जावेगा एवं उक्त राजसात की गई राशि से संबंधित निर्मित भवन भूखण्ड के खुले भाग में, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराया जावेगा। उक्त राशि निकाय द्वारा व्यय किये जाने की स्थिति में संबंधित निकाय के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(ii) जिले में स्थित शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय एवं आवासीय भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण स्वयं या स्वयं की एजेंसी द्वारा –

निकाय द्वारा जिले में स्थित सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों का सर्वेक्षण कर सूची तैयार की जावेगी। निकाय स्वामित्व के भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य निकाय द्वारा कराया जावेगा तथा अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य स्वयं कार्यालय द्वारा कराया जावेगा। इसके लिए आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी संबंधित कार्यालय से पत्र व्यवहार करेंगे। कार्य पूर्ण होने तथा प्रभावी रूप से संचालित होने का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर प्रतिवेदन संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा।

(iii) निकाय द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा –

1. निकाय द्वारा रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के लिए विशेष प्रकरण मानते हुए 07 दिवस की अल्पावधि निर्धारित करते हुए रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित की जावेगी। जिसमें उपयुक्त एन.जी.ओ./ठेकेदार/स्वसहायता समूह/असंगठित कामगारों की पंजीकृत समितियों को उनकी सक्षमता के आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा। स्वसहायता समूह/असंगठित कामगारों की पंजीकृत समितियों को धरोहर राशि से छूट प्रदान की जावेगी।

2. उपरोक्त सूची का अनुमोदन किया जाकर सूचीबद्ध एन.जी.ओ. / ठेकेदार / स्वसहायता समूह / असंगठित कामगारों की पंजीकृत समितियों को 50–50 रेनवॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण हेतु अनुबंध उपरांत कार्यादेश जारी किया जावेगा। जो पूर्ण होने पर 50–50 रेनवॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण के पुनः कार्यादेश जारी किया जावेगा।
3. किसी भी एजेंसी को अग्रिम दिये जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण के लिए स्थल की स्थिति अनुसार पृथक–पृथक मानक ड्राईंग डिजाईन एवं प्राक्कलन मुख्य अभियंता (यांत्रिकी प्रकोष्ठ), संचालनालय द्वारा जारी किया जावेगा।
5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य निकाय द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा किये जाने की स्थिति में आवेदक से रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पूर्ण होने तथा प्रभावी रूप से संचालन का प्रमाण लिया जावेगा।

3. सुरक्षा निधि की राशि –

एकल इकाई भवनों, रो–हाउसिंग एवं कालोनी विकास के प्रकरणों में राशि की गणना निम्नानुसार की जाकर, आरोपित की जावेगी :–

1. <u>एकल इकाई भवन (Singal Unit)</u> :– एकल इकाई भवन हेतु सुरक्षा राशि की गणना सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल पर रू. 55.00 प्रति वर्गमीटर की दर से की जावेगी, किन्तु इस श्रेणी के भवनों के लिए सुरक्षा राशि की अधिकतम् सीमा रू. 15,000.00 होगी।
2. <u>रो–हाऊसिंग (Row Housing)</u> :– रो–हाऊसिंग योजना के अंतर्गत सुरक्षा राशि की गणना भूखण्ड क्षेत्रफल जिस पर भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, पर 55.00 प्रति वर्गमीटर की दर से तथा शेष क्षेत्र के क्षेत्रफल पर राशि रू 1.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से गणना कर अधिरोपित की जावेगी, किसी रो–हाऊसिंग के सम्पूर्ण योजना अभिन्यास के लिए सुरक्षा राशि की अधिकतम् सीमा राशि रू. 10.00 लाख होगी।
3. <u>ग्रुप हाऊसिंग (Group Housing)</u> :– ग्रुप हाऊसिंग के लिए सुरक्षा राशि की गणना एवं अधिकतम् सीमा रो–हाऊसिंग के समान होगी।
4. <u>बहुइकाई भवन (Group Housing)</u> :– बहुइकाई भवनों के लिए सुरक्षा राशि की गणना संपूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल का रू. 55.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से की जावेगी, किन्तु अधिकतम सीमा की संख्या **X** 15,000.00 रू. की गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक नहीं होगी।
5. <u>कॉलोनी विकास (Development of Colony)</u> :– कॉलोनी विकास के प्रकरणों में सुरक्षा राशि की गणना भूखण्डों एवं सड़क की भूमि को छोड़कर शेष क्षेत्रफल पर राशि रू. 1.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से की जावेगी, किन्तु सुरक्षा राशि की अधिकतम सीमा रू. 10.00 लाख होगी।
6. <u>वाणिज्यिक / सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक / औद्योगिक भवनों / परिसरों</u> के प्रकरणों में भी सुरक्षा राशि की गणना रू. 55.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड के संपूर्ण क्षेत्रफल पर की जावेगी, किन्तु सुरक्षा राशि की अधिकतम सीमा राशि रू. 10.00 लाख होगी।

निकाय द्वारा भवन निर्माण / छ.ग. नगर पालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते नियम 1998 के तहत यथा निर्माण / विकास की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व अन्य देय कर / शुल्क की राशि जमा कराये जाने के साथ ही सुरक्षा राशि (F.D.R. के रूप में) जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

नोट :– निकाय द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित अभिन्यास पर 200 वर्गमीटर आकार के भूखण्डों पर भवन निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने हेतु छ.ग. भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 27 (3) के अनुसार पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर द्वारा भी 150 वर्गमीटर से अधिक एवं 200 वर्गमीटर से अनधिक आकार के भूखण्डों से निर्माण की अनुज्ञा जारी करने के पूर्व कंडिका 2 (1) का अनुपालन करते हुए कंडिका 3 के अनुसार सुरक्षा राशि सावधि जमा रसीद के रूप में जमा करायी जाने के उपरांत निर्माण की अनुज्ञा जारी कर सकेंगे तथा सावधि जमा रसीद निकाय में जमा कराकर पावती प्राप्त करेगें।

4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्थापित नहीं किये जाने पर शास्ति –

ऐसे भवन जो 150 वर्गमीटर से अधिक आकार के भूखण्ड पर पूर्व से निर्मित है तथा उनमें रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान अद्यतन नहीं किया गया है पर प्रतिवर्ष भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्रति 100 वर्गमीटर पर रू. 1,000.00 (रूपये एक हजार मात्र) के मान से वार्षिक शास्ति आरोपित की जावेगी। इस प्रकार की शास्ति तब तक आरोपित की जावेगी जब तक कि भवन स्वामी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कर नगरीय निकाय को इसकी लिखित सूचना नहीं दी जाती है। उक्त शास्ति की राशि वसूली, नगरीय निकाय द्वारा भवन स्वामी से सपत्ति कर के साथ की जावेगी। किसी भी परिस्थिति में शास्ति की राशि वापसी के योग्य नहीं होगी।

5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का कियान्वयन –

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा। निर्माण कार्य में नगर पालिक निगम अधिनियम/नगर पालिका अधिनियम एवं छ.ग. कार्य विभाग मैनुअल का पालन किया जावे तथा मेयर–इन–कौंसिल/प्रेसिडेण्ट–इन–कौसिंल (कामकाज संचालन) नियम 1998 के प्रावधानों के अधीन स्वीकृति एवं निर्माण की प्रकिया अपनायी जावे।

6. वित्तीय व्यवस्था –

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य निकाय में जमा धरोहर राशि से किया जावेगा। इसके लिए पृथक से कोई राशि जारी नहीं की जावेगी।

शासकीय/अर्द्धशासकीय निकाय स्वामित्व के भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य निकाय द्वारा कराया जावेगा तथा अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य स्वयं कार्यालय द्वारा कराया जावेगा।

7. निर्माण उपरांत रख–रखाव –

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का रख–रखाव का कार्य निकाय द्वारा किया जावेगा तथा अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग का रख–रखाव का कार्य स्वयं कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

8. **लेखा संधारण** –

नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार लेखाओं का संधारण संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा। रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की ब्याज की राशि इसी मद में व्यय की जावेगी। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।

(एच.आर. दुबे) 13/6
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क. एफ 5–13/2019/18 अटल नगर रायपुर , दिनांक 13/06/2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर ।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर।
3. मुख्य अभियता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर।
4. प्रभारी डाटा सेन्टर अधिकारी को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव 13/6
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग